

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक

10

अप्रैल, 2019

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में एच0पी0सी0एल0, मेरठ द्वारा एस0एच0-12ए खतौली जानसठ मीरापुर-विजनौर मार्ग, कि0मी0 चैनेज सं0-27.026 से 27.202 बायी पटरी पर खसरा संख्या-1040 ग्राम सलारपुर तहसील जानसठ जिला-मुजफ्फरनगर में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग हेतु 0.160126 हे0 संरक्षित वनभूमि (बिना वृक्ष पातन) के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1422/11-सी/एफपी/यूपी/others/35983/2018, दिनांक: 17.01.2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में एच0पी0सी0एल0, मेरठ द्वारा एस0एच0-12ए खतौली जानसठ मीरापुर-विजनौर मार्ग, कि0मी0 चैनेज सं0-27.026 से 27.202 बायी पटरी पर खसरा संख्या-1040 ग्राम-सलारपुर, तहसील जानसठ, जिला- मुजफ्फरनगर में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग हेतु 0.160126 हे0 संरक्षित वनभूमि (बिना वृक्ष पातन) के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति/स्वीकृति मांगी गयी है।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव की प्रति मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

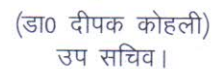

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-पी-2(1)/14-2-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मुजफ्फरनगर।
- 5- श्री संजय नागपाल, विधिवत गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, लि0 मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।